राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. 11/2020

उनवान

सैयद अब्दुल जब्बार उम्र 55 वर्ष पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान जाति–कुरैसी व्यापारी मुस्लमान निवासी– मोहल्ला कांजीवाडा मदीना मस्जिद के पास वार्ड न 32 झुन्झुनू तहसील व जिला–झुन्झुनू

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार महोदय झुन्झुनू तहसील व जिला–झुन्झुनू ।

– प्रतिवादी

दावा बावत घोषणार्थ, संशोधन राजस्व रिकार्ड

विवेचन दिनांक 8/10/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाकै ग्राम खिदरसर तहसील व जिला–झुन्झुनू कि सरहद मे भूमि हाल खसरा नम्बर 1061/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार/टीनेन्ट है वादी अपनी उक्त वर्णित भूमि पर मौके पर भौतिक रुप से काबिज काश्त है। वादी के पिता का सही नाम सैयद मोहम्मद रमजान था वादी के पिता का स्वर्गवास 45 वर्ष पूर्व हो चूका है उक्त वर्णित भूमि 1061/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी का नाम जब्बार पुत्र रमज्यान गलती से दर्ज हो गया है। जबकि वास्तव मे वादी का सही नाम सैयद अब्दूल जब्बार पूत्र सैयद मोहम्मद रमजान जाति–व्यापारी कुरैसी निवासी–मोहल्ला काजीवाडा झुन्झुनू है और वादी का स्कूल रिकार्ड मे भी सही नाम सैयद अब्दूल जब्बार पूत्र सैयद मोहम्मद रमजान है ईसी प्रकार वादी के आधार कार्ड व मेडिकल कालेज के शैक्षणिक रिकार्ड मे भी वादी का सही नाम सैयद अब्दूल जब्बार पूत्र सैयद मोहम्मद रमजान है। वादी उक्त वर्णित अपनी खातेदारी काश्तकारी कि भूमि हाल खन 1061/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि को विकसीत करने के लिये बैंक से ऋण लेना चाहता है चुकि वादी के स्कूल व कालेज के शैक्षणिक रिकार्ड तथा आधार कार्ड मे वादी का सही नाम सैयद अब्दुल जब्बार पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान है चुकि वादी चादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे जब्बार पुत्र रमज्यान डिजीटल दर्ज होने के कारण उसके डिजीटल आधार कार्ड व स्कुल व कालेज के शैक्षणिक रिकार्ड से मेल नहीं खाने के कारण बैंक वादी के हक मे ऋण स्वीकत नहीं कर रहा है ऐसी सूरत मे उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड जो कि डिजीटल हो चूका है उक्त राजस्व रिकार्ड को वादी के डिजीटल आधार कार्ड व अन्य स्कूल व कालेज शैक्षणिक रिकार्ड मे दर्ज नाम के अनुसार किया जाना आवश्यक है ईसलिये वादी को यह वादपत्र प्रस्तूत करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो कि गलती से राजस्व रिकार्ड मे वादी सैयद अब्दूल जब्बार पूत्र सैयद मोहम्मद रमजान के नाम के स्थान पर जब्बार पत्र रमज्यान जाति–व्यापारी मुस्लमान निवासी–झुन्झुनू गलत रुप से राजस्व रिकार्ड मे ... है कि वादी व उसके पिता का सही नाम सैयद

Scanned with OKEN Scanner

अब्दूल जब्बार पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान है जिसको उक्त अनूसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त नाम अनूसार भूमि खसरा नम्बर 1061/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि का वादीं को खातेदार घोषित फरमाया जाना एवं संशोधित किया जाना आवश्यक है। वादी ने राजस्व रिकार्ड कि प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 23/1/2020 को लेने पर लेने पर वादी ने दिनांक 24/1/2020 को तहसीलदार महोदय झुन्झुनू के समक्ष वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे जब्बार पुत्र रमज्यान के स्थान पर सैयद अब्दूल जब्बार पूत्र सैयद मोहम्मद रमजान संशोधन करने हेतू निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी से कहा कि वह सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड मे संशोधित नही कर सकता है। वादकारण दिनांक 24/1/2020 को तहसीलदार झुन्झुनू के समक्ष वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त करने हेतू निवेदन करने व तहसीलदार झुन्झुनू दवारा सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही वादी का नाम दुरुस्त करने का कथन करने पर वादकारण श्रीमान जी के मैत्राधिकार में पैदा हुआ है। वादपत्र वादी मय शपथपत्र व डुप्लीकेट प्रति वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिकी किया जावे कि वाकै ग्राम खिदरसर तहसील व जिला–झुन्झुनू कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1061/964 रकबा 0. 21 हैक्टर भूमि मे वादी का नाम जब्बार पुत्र रमज्यान के स्थान पर संशोधित कर सही नाम सैयद अब्दूल जब्बार पूत्र सैयद मोहम्मद रमजान जाति–व्यापारी कुरैसी किये जाने की धोषणा एवं संशोधन के आदेश प्रदान करे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार झुन्झुनू से जवाव चाहा गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2023/2457 दिनांक 13.12.2023 द्वारा जबाव पेश किया कि वादी का सही नाम सैयद अब्दुल जब्बार पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान सही है। पत्रावली पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया जाकर बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया। ग्राम खिदरसर तहसील व जिला–झुन्झुनू कि सरहद मे भूमि हाल खसरा नम्बर 1061/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में वादी का नाम जब्बार पुत्र रमज्यान दर्ज जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात यथा मैडिकल डिग्री, सैकण्डरी स्कूल मार्कसीट, राशन कार्ड इत्यादि में भी वादी का नाम सैयद अब्दुल जब्बार पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजाती तथ्यों एवं न्यायालय मत पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि ग्राम खीदरसर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 74 में वादी का नाम जब्बार पुत्र रमज्यान के स्थान पर सैयद अब्दुल जब्बार पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/10/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हस्ताक्षर 8/10/24
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner